कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 44 /37 /2018–19, रामनगर, दिनांक, जुलाई 5, ,2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड, चन्दौली।

विषय : ग्राम बाघी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मन्दिर तक 0.072 है0 आरक्षित वन भूमि में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक : 218/ग्रा0अ0वि0/विविध/2018–19, दिनांक : 10.05.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक : 5932/37, दिनांक : 24.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित ग्राम बाघी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मन्दिर तक 0.072 है0 आरक्षित वन भूमि में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के अनुमति प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा MOEF की वेबसाइट पर उक्त प्रस्ताव को आन लाइन किया गया है। MOEF की वेबसाइट पर उक्त प्रस्ताव की लम्बित स्थिति DFO के स्तर पर प्रदर्शित हो रही है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रस्ताव की 7 प्रतियाँ पूर्ण कर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई, जिस कारण उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार किया जा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रस्ताव की 7 प्रतियाँ पूर्ण कर इस कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयगत प्रकरण में ससमय अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

O/C